Regarding need to extend reservation in Jobs for ex-servicemen to Group A and B posts-Laid

श्री राजीव राय **(**घोसी**) :** देश में भूतपूर्व सैनिकों को पुनर्वास हेतु प्रदान किये जा रहे अवसरों की दयनीय दशा की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । हम सभी अवगत है की सेना को युवा रखने हेतु प्रतिवर्ष करीब **60,000** की संख्या में सैनिको को अनिवार्य सेवानिवृति दे दी जाती है जिसमे करीब बारह हजार सैनिक मेरे गृह प्रदेश उत्तर प्रदेश से ही होते है **|** यह युवा सैनिक **33** से **45** वर्ष की आयु में ही घर आ जाते है**|** वर्तमान में केंद्र सरकार की सेवाओं में भूतपूर्व सैनिकों को पुनर्वास हेतु समूह ग के पदों में आरक्षण कार्यकारी निर्णय के द्वारा प्रदान किया जा रहा है । वर्तमान में सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान छह श्रेणी के व्यक्तियों को यथा अनुसूचित जाति**;** अनुसूचित जन जाति**;** अन्य पिछड़ा वर्ग**;** आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग**;** दिव्यांग जन और भूतपूर्व सैनिक को प्रदान किया जाता है । उपरोक्त छः वर्गों को प्रदान किये गए आरक्षण में पांच श्रेणियों अनुसूचित जाति**;** अनुसूचित जन जाति**,** अन्य पिछड़ा वर्ग**,** आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांग जन को सरकारी सेवाओ की सभी समूहों के पदों पर आरक्षण प्रदान करने के साथ ही संवैधानिक रूप प्रदान कर दिया गया है**,** परन्तु भूतपूर्व सैनिको का आरक्षण अभी भी समूह ग तक ही कार्यकारी निर्णय के द्वारा प्रदान किया जा रहा है ।

अतः उपरोक्त के सन्दर्भ में मै सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूँ की भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए प्रदान आरक्षण को भी सरकारी सेवाओं के समूह क समूह ख में में भी विस्तारित करते हुए संवैधानिक स्थिति प्रदान किया जाय ।